रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 2000/भाद्र 24, 1922
No. 209] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2000/BHADRA 24, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2000

सं. 34 (आर ई-2000)/1997—2002

विषय : निर्यात और नीति के पैराग्राफ 10.2 (घ) के तहत ईस्टर्न रिजन सिस्टम कोर्डिनेशन एण्ड कंट्रोल (ई आर एस सी एण्ड सी) ट्रांसमिशन परियोजना के लिए मान्य निर्यात लाभ।

फा. सं. 01/92/180/46/ए एम00/पी सी 2.— का. आ. संख्या-283(अ) दिनांक 31-3-97 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997—2002 के परिशिष्ट-40 के साथ पठित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 10.2 (घ) के अनुसार विश्व बैंक (आई बी आर डी और आई डी ए) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति, जैसाकि निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 10.3 में दिया गया है, मान्य निर्यात लाभ पाने की हकदार हैं।

ईस्टर्न रिजन सिस्टम कोर्डिनेशन एण्ड कंट्रोल (ई आर एस सी एण्ड सी) ट्रांसमिशन परियोजनाएं विश्व बैंक (आई बी आर डी और आई डी ए) द्वारा वित्त पोषित होने की संभावना है। उपर्युक्त परियोजनाओं को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मान्य निर्यात लाभ देने के मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि मान्य निर्यात लाभ, जैसाकि निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 10.3 के तहत दिया गया है, उपर्युक्त परियोजना को वस्तुओं की आपूर्तियों के लिए उपलब्ध होंगे, जैसे यह परियोजना विश्व बैंक (आई बी आर डी और आई डी ए) वित्त पोषित है।

4. यदि किसी कारण विश्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं होता तो ऐसा मानते हुए कि आपूर्तियां निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 10.2 (घ) के तहत की गई है, मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होंगे, तथापि इस मामले मे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाए गए मान्य निर्यात लाभ के बराबर नगद राशि वापिस करेगा।

5. इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th September, 2000

NO. 34 (RE-2000)/1997—2002

Subject : Deemed export benefits for Eastern Region System Coordination and Control (ERSC&C) Transmission Project under Paragraph 10.2(d) of the EXIM Policy.

F. No. 01/92/180/46/AM00/PC.II.— In exercise of the powers conferred under Paragraph 4 11 of the Export and Import Policy, 1997—2000, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(ii) vide S.O. No 283(E) dated 31-3-1997, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments—

2. As per Paragraph 10 2(d) of the EXIM policy, 1997—2002 read with Appendix 40 of Hand Book of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, supply of goods to projects financed by World Bank (IBRD & IDA) are entitled for deemed export benefits as given under Paragraph 10 3 of EXIM Policy.

3. Eastern Region System Coordination and Control (ERSC&C) Transmission Projects are likely to be financed by World Bank (IBRD & IDA) The matter of extending deemed export benefits for supply of goods to the above stated project has been considered in consultation with Ministry of Finance and it has been decided that deemed export benefits as given under Paragraph 10.3 of the EXIM Policy shall be available for supplies of goods to the above stated project, as if this project is financed by World Bank (IBRD & IDA).

4. In case the World bank loan fails to come through, for any reason, the deemed export benefits would be available as if the supplies have been effected under Paragraph 10.2(d) of the EXIM Policy. However, in this case the Power Grid Corporation would return the cash equivalent of the deemed export benefits availed by the suppliers for the avove stated project.

5 This issues in Public interest.

N. L LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054